



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
Registration of Corporate Agents - Regulations, 2015

फॉर्म बी
FORM B
[विनियम 4 और 9 देखें]
[See regulations 4 & 9]
पंजीकरण प्रमाणपत्र
Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: CA1080
Registration No: CA1080

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा **SUNDARAM HOME FINANCE LIMITED** को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन **Corporate Agent (Composite)** कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए (श्रेणी का विवरण लिखें) पंजीकरण प्रदान करता है।
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to **SUNDARAM HOME FINANCE LIMITED** to act as **Corporate Agent (Composite)** (Mention details of category) corporate agent under that Act.

**हाउसिंग लोन/नोन-हाउसिंग लोन साथे वीमा उत्पादनना वेयाला अंगेनी
माहितीनुं प्रदर्शन**

तमाम ग्राहकोने आथी जाला करवामां आवे छे के हाउसिंग लोन अथवा नोन-हाउसिंग लोन मेणववा माटे प्रोपर्टी एन्श्योरन्स (मिलकतनो वीमो) अने लाइफ एन्श्योरन्स (जुवन वीमो) इरजियात नथी. प्रोपर्टी एन्श्योरन्स मिलकतने थता नुकसानना थोक्कस जोजमो सामे सुरक्षा पूरी पाडी शके छे, ज्यारे लाइफ एन्श्योरन्स संबंधित वीमा पोलिसीनी शरतोने आधीन रहीने, पोलिसीधारकना मृत्युना किरसांमां तेमना परिवार अथवा नोमिनीने आर्थिक सुरक्षा पूरी पाडी शके छे. जो के, आवा वीमा उत्पादनो पसंद करवा के नहीं ते संपूर्णपणे स्वैच्छिक बाजत छे अने ते ग्राहकनी पोतानी भरज पर निर्भर छे.

सुंदरम होम फाइनेन्स लिमिटेड (कंपनी) हाउसिंग लोन अथवा नोन-हाउसिंग लोन मंजूर करवा के तेनी रकमनी चुकवाणी (डिसबर्समेन्ट) करवा माटे कोइपला प्रकारना प्रोपर्टी एन्श्योरन्स (मिलकत वीमा) अथवा लाइफ एन्श्योरन्स (जुवन वीमा)नी जरीदीनो आग्रह राजशे नहीं के ते माटे इरज पाडशे नहीं. जो कोइ ग्राहक पर तेमनी संभति विना वीमा पोलिसी जरीदवा माटे दबाए करवामां आवे अथवा आग्रह राजवामां आवे, तो ग्राहक कंपनीना इरियाद निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) समक्ष इरियाद नोंधावी शके छे. वणी, जो इरियाद करनारने अक महिनाना समयगाणामां कंपनी तरक्थी कोइ प्रतिसाद न मणे अथवा तेओ कंपनी तरक्थी मणेला प्रतिसादथी असंतुष्ट होय, तो तेओ नेशनल हाउसिंग बैंक ना इरियाद निवारण विभाग (GRD)नो संपर्क पला करी शके छे.

*T&C Apply